भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3098
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

मासिक बेरोजगारी भत्ता

3098. **श्री एंटो एन्टोनीः**
श्री टी.एन. प्रथापनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में बेरोजगारी की दर कितनी रही है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितनी नौकरियों का सृजन किया गया;

(ग) क्या सरकार का बेरोजगार युवाओं को उनके भरण-पोषण के लिए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए रोजगार दर्शाती अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) और अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) इस प्रकार है:

वर्ष	यूआर (%)	डब्ल्यूपीआर (%)
2019-20	4.8	50.9
2020-21	4.2	52.6
2021-22	4.1	52.9

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है और कामगार जनसंख्या अनुपात (अर्थात रोजगार) में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, पात्रता शर्तों के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ का भुगतान उन बीमित श्रमिकों को किया जाता है जो अपना रोजगार खो देते हैं। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक आय का 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, इसके साथ ही कोविड-19 के कारण रोजगार खो चुके बीमित कामगारों को लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई है।

*****